

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा  
आदेश

श्री बनवारी लाल, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उचाना को हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के उप नियम 143(1) के तहत दिनांक 28.02.2022 को बाद दोपहर 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
28.02.2022

रमेश चन्द्र बिढाण, भा0प्र0से0  
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक एए4-2022/1499-03/503

दिनांक: 28-02-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
3. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उचाना।
4. श्री बनवारी लाल, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उचाना।
5. ए0ई0/आई0टी0सेल।

15/3/22

SA/II

Ankita  
15/3/22

Prag

उप-अधीक्षक (प्रशा0-1) 28/2/22  
कृत: महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।